पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

वाद करण सं0 : 47/2021

1. राजेन्द्र
2. रामफल
   रामनिवास

पुत्रान देईराम जाति ब्राहम्ण निवासी आसन त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. विद्यादेवी पत्नी रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी आसन त0 भादरा।
2. समोस देवी पुत्री देईराम पत्नी श्याम सुन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी आसन त0 भादरा हाल तिगडाना जिला भिवानी।
3. रोशनी पुत्री देईराम पत्नी मांगेराम जाति ब्राहम्ण निवासी आसन त0 भादरा हाल जयपुर सिलाखेडी जिंद हरियाणा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचंद शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 45/48 के खसरा सं0 201 की 4.7410है0, खसरा सं0 208 की 4.0340है0, खसरा सं0 209 की 1.8720है0, खसरा सं0 210 की 1.7080है0, खसरा सं0 225 की 3.0230है0 कुल 15.3780है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादीया सं0 1 विद्यादेवी के नाम से 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मं दर्ज है में से प्रतिवादीया सं0 1 विद्यादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 कमशः राजेन्द्र, रामफल व रामनिवास को बहिस्सा बराबर व रोही आसन के खाता सं0 13/17 के खसरा सं0 6 की 0.8090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं01 विद्यादेवी के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादीया सं0 1 विद्यादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 कमशः राजेन्द्र, रामफल व रामनिवास को बहिस्सा बराबर व रोही अजीतपुरा के खाता सं0 597/561 के खसरा सं0 907 की 8.6880है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं01 के मृतक पुत्र बलवान पुत्र रामकुमार के नाम से 133—1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से स्व0 बलवान पुत्र रामकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण कमशः राजेन्द्र रामफल व रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.1.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 47/2021

1. राजेन्द्र
2. रामफल
3. रामनिवास

पुत्रान देईराम जाति ब्राहम्ण निवासी आसन त0 भादरा

:— वादीगण

ब ना म

1. विद्यादेवी पत्नी रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी आसन त0 भादरा।
2. समोस देवी पुत्री देईराम पत्नी श्याम सुन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी आसन त0 भादरा हाल तिगडाना जिला भिवानी।
3. रोशनी पुत्री देईराम पत्नी मांगेराम जाति ब्राहम्ण निवासी आसन त0 भादरा हाल जयपुर सिलाखेडी जिंद हरियाणा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचंद शर्मा: वादीगण
वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 27.1.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 45/48 के खसरा सं0 201 की 4.7410है0, खसरा सं0 208 की 4.0340है0, खसरा सं0 209 की 1.8720है0, खसरा सं0 210 की 1.7080है0, खसरा सं0 225 की 3.0230है0 कुल 15.3780है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादीया सं0 1 विद्यादेवी के नाम से 1/6 हिस्सा व रोही आसन के खाता सं0 13/17 के खसरा सं0 6 की 0.8090है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादीया सं01 विद्यादेवी के नाम 1/3 हिस्सा व रोही अजीतपुरा के खाता सं0 597/561 के खसरा सं0 907 की 8.6880है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं01 के मृतक पुत्र बलवान पुत्र रामकुमार के नाम से 33-1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। बलवान प्रतिवादीया का मृतक कुंवारा पुत्र है जिसकी विधिक उतराधिकारी प्रतिवादीया है।

प्रतिवादीया वादीगण को जन्म देने वाली सगी माता है चूंकि प्रतिवादीया की शादी पूर्व में वादीगण के पिता देईराम के साथ हुई थी जिससे वादीगण व उसकी दो बहने समोसदेवी व रोशनी पैदा हुए थे। वादीगण के पिता का देहान्त के बाद प्रतिवादीया ने वादीगण के चाचा रामकुमार के साथ करेवा कर लिया, जिससे एक पुत्र बलवान उर्फ बलराज पैदा हुआ जो बाद में कुंवारा फौत हो गया। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादीया के सगे पुत्र है।

वादी एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज

Scanned with CamScanner

करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बयान मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश की। जिस पर वकील प्रतिवादी ने अनापति जाहिर की। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 2 व 3 के रूप में समोस देवी व रोशनी पुत्री देईराम को दावा में बतौर प्रतिवादी दावा में पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ ईकबालदावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामफल पुत्र देईराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी आसन के खाता सं0 45/18 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी रोही अजीतपुरा खाता सं0 597/561 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही आसन खाता सं0 13/17 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। व अन्य साक्ष्य में धर्मवीर पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा व कालूराम पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी आसन हाल निवासी उत्तम नगर पश्चिमी दिल्ली के मुख्य परीक्षा जरिये शपथ पत्र पेश कर बयान करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामाव वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोठसरा व भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी आसन के खाता सं0 45/18 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी रोही अजीतपुरा खाता सं0 597/561 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही आसन खाता सं0 13/17 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें वारिस प्रमाण के अनुसार विद्यादेवी पत्नी देईराम के तीन पुत्र राजेन्द्र, रामफल व रामनिवास व दो पुत्री समोसदेवी व रोशनी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि प्रतिवादीया की शादी पूर्व में वादीगण के पिता देईराम के साथ हुई थी जिससे वादीगण व उसकी दो बहने समोसदेवी व रोशनी पैदा हुए थे। वादीगण के पिता का देहान्त के बाद प्रतिवादीया ने वादीगण के चाचा रामकुमार के साथ करेवा कर लिया जिससे एक पुत्र बलवान उर्फ बलराज पैदा हुआ जो बाद में कुंवारा फौत हो गया। प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुलोम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 45/18 के खसरा सं0

Scanned with CamScanner

201 की 4.7410है0, खसरा सं0 208 की 4.0340है0, खसरा सं0 209 की 1.8720है0, खसरा सं0 210 की 1.7080है0, खसरा सं0 225 की 3.0230है0 कुल 15.3780है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादीया सं0 1 विद्यादेवी के नाम से 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मं दर्ज है में से प्रतिवादीया सं0 1 विद्यादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 कमशः राजेन्द्र, रामफल व रामनिवास को बहिस्सा बराबर व रोही आरान के खाता सं0 13/17 के खसरा सं0 6 की 0.8090है0 बारानी खातेदारी मे प्रतिवादीया सं01 विद्यादेवी के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मे से प्रतिवादीया सं0 1 विद्यादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 ता 3 कमशः राजेन्द्र, रामफल व रामनिवास को बहिस्सा बराबर व रोही अजीतपुरा के खाता सं0 59 /561 के खसरा सं0 907 की 8.6880है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं01 के मृतक पुत्र बलवान पुत्र रामकुमार के नाम से 133-1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से स्व0 बलवान पुत्र रामकुमार का नामं कलमजन किया जाकर वादीगण कमशः राजेन्द्र रामफल व रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner